FORM No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

बरकत अली वगैराह बनाम निजामुदीन वगैराह

अर्न्तगत धारा 212 आरटीए

मु0न0 80/2025

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
.07.2025	प्रार्थीगण की ओर से अधिवकता श्री जसराज जयपाल ने इसी अनुवान वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 07.10.2025 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम घुघरा के खसरा नम्बर 31, 18 कुल रकबा 1.52 हैक्टयर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। यह स्थगन आदेश राजकीय कार्य एवं रास्ते के प्रकरण में लागू नहीं रहेगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.10.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर आज दिनांक 07.10.25 को जिला / राजस्व बार एसोसिएशन ने आज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही की पालना में दिनाक 8.12.25 को पेश हो। आदेशानुसार न्यायालय पेशकार (रीडर) सहायक कलक्टर(मु.) अजमेर	
17/10/25	वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थी सं० 1 उप०। वकील प्रार्थीगण / प्रार्थी सं० 1 ने मूल वाद में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वाद जरिये विड्राल खारिज करने का निवेदन करने पर मूल वाद जरिये विड्रॉ खारिज किया जा चुका है। मूल वाद जरिये विड्रॉ खारिज होने से इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र को चलाने का कोई आधार नहीं रह गया है एवं प्रार्थना-पत्र सारहीन हो गया है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र भी मूल वाद के साथ जरिये विड्रॉ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	[illegible] Identify by [illegible] 17/10/25